न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 70/2021 दायरा दिनांक : 21.06.2021

उनवान

1– चैन सिंह आत्मज श्री मोतीलाल, जाति राजपूत, निवासी ग्राम डग, जिला झालावाड़

2– सौहेल गोरी आत्मज श्री महबूब खां, जाति मुसलमान, निवासी डग, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– उदा आत्मज श्री सेवा, जाति मेहर,

2– चन्दर आत्मज सेवा, जाति मेहर,

3– अन्दर लाल आत्मज सेवा, जाति मेहर,

4– नारायण लाल आत्मज रतनलाल, जाति मेहर,

5– रमेश आत्मज रतनलाल, जाति मेहर,

अकवाम निवासीगण नयाखेड़ा, तहसील डग, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1, 2, 3 की ओर से

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

निर्णय दिनांक : 16.09.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 00048/प्रार्थना पत्र/2018 निर्णय दिनांक 03.02.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी. ए. के तहत पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण के नाम ग्राम डग के खसरा नम्बर 2172, 2173, 2171 व 2174 की भूमि दर्ज है। उक्त भूमि पर आने जाने का रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज है इसके सौहेल गोरी ने खसरा नम्बर 2166, 2147, 2017 पर तार लगाकर बन्द कर दिया है जिसको अधिकार नहीं है, अतः रास्ता दिलाया जावे । हम मुआवजा देने को तैयार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर सम्मन जारी किये गये । अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रकिया अपनाए बिना एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अन्य खातेदारान की विवादित आराजी खसरा नम्बर 2017, 2167, 2168 एवं 2166 में होकर नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी प्रावधानों की पूर्ण रूप से अनदेक्षी की है। धारा 251 ए के प्रावधानों की ओर भी कोई उचित गौर नहीं कर निर्णय पारित कर दिया । रेस्पोडेंट प्रार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वह असत्य एवं आधारहीन कथनों पर पेश किया गया है। प्रार्थी को अपने खेत पर

टंकणकर्ता
लेख
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत प्रार्थना पत्र रेस्पोडेंट स्वीकार करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा खसरा नम्बर 2017 में रास्ता दिया गया है परन्तु उक्त खसरा नम्बर अपीलांट कम 1 चैन सिंह की सहखातेदारी का है जिसे अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया एवं इस नम्बर के अन्य सहखातेदार अर्जुनसिंह, चन्दर सिंह, मदनसिंह, भगत बाई व लामू बाई को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। कानूनन इस खसरा नम्बर की आराजी में नया रास्ता कायम करने के पहले खातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में वर्णित खसरा नम्बर 2167, 2168 में भी रास्ता दिया गया है जबकि यह खसरा नम्बर अन्य खातेदार भैरू आत्मज देवा बलाई की खातेदारी की है परन्तु रेस्पोडेंट प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में भैरू आत्मज देवा बलाई को भी पक्षकार नहीं बनाया और निर्णय पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 2166 अपीलांट कम 2 सौहेल गौरी की खातेदारी के है जो चाह के नम्बर है चाह में होकर रास्ता नहीं दिया जा सकता, इस बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र धारा 251–ए निर्णित करने में नियम 65 की भी कोई पालना नहीं की । पटवारी हल्का के द्वारा मात्र एस.डी.ओ. के मौखिक आदेश पर मौका रिपोर्ट दिनांक 02.02.2021 बनायी है, उक्त रिपोर्ट बनाने का पटवारी हल्का को कोई अधिकार नहीं था, केवल अधीनस्थ न्यायालय के मौखिक आदेश पर बनायी गयी अवैधानिक रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट व अन्य सहखातेदारान को पक्षकार न बनाना एवं जवाबदेही व साक्ष्य का अवसर प्रदान न करना कानूनी प्रावधानों के पूर्णतया विपरीत है। अपीलांट कम 2 को अपनी खाते की आराजी में बाउन्ड्रीवाल करने एवं फेसिंग करने का

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

पूर्ण अधिकार प्राप्त है इसमें होकर कभी भी प्रार्थी का रास्ता नहीं रहा है एवं प्रार्थी ने लिखित सहमति भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कभी पेश नहीं की है एवं रेस्पोडेंट प्रार्थीगण अपीलांट क्रम 2 की खाते की आराजी में से जबरन रास्ता निकालना चाहते थे इसलिए अपीलांट ने रेस्पोडेंट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया जो आंशिक डिक्री किया। इसलिए अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 03.02.2021 प्रकरण संख्या 8/2016 के विरूद्ध पृथक से अपील पेश की जा रही है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण संख्या 8/2016 व 48/2018 कन्सोलिडेट करके ही निर्णय पारित करना चाहिए था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.02.2021 निरस्त किया जावे । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जावे कि वह प्रकरण संख्या 8/2016 एवं 48/2018 कन्सोलिटेड करे एवं विवादित आराजी के समस्त खातेदारान को पक्षकार बनाकर इन्हें जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए नियम 65 के मुताबिक सक्षम अधिकार से मौका रिपोर्ट मंगवाकर प्रकरण का पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए, आर टी ए के तहत पेश किया जिसमें केवल मात्र अपीलांट क्रम 2 सोहेल गौरी को ही पक्षकार बनाया। प्रार्थी के नाम ग्राम डग में खसरा नम्बर 2172, 2173, 2171 एवं 2174 की भूमि दर्ज है। उक्त आराजी पर आने जाने का

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

(मुहर: भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★ राजस्थान)

रास्ता राजस्व रेकार्ड में हमेशा से दर्ज है। इस रास्ते को सोहेल गौरी ने खसरा नम्बर 2166, 2147, 2017 को तार लगाकर बन्द कर दिया है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। हमें रास्ता दिलाया जावे हम रास्ते का मुआवजा देने को तैयार हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत सुनवायी न कर मौखिक आदेश से पटवारी हल्का डग से मौका रिपोर्ट मंगवा कर एक तरफा निर्णय पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा 251–ए रा.टी.ए. के प्रावधानों पर गौर नहीं फरमाया । रेस्पोडेंट को अपने खेत पर आने जाने के लिए गैर मुमकिन रास्ता जो कि खसरा नम्बर 2163 व 2164 के उत्तर में होता हुआ खसरा नम्बर 2165, 2168 व 2167 की दक्षिण की तरफ होता हुआ था परन्तु उक्त रास्ते को खसरा नम्बर 2165 व 2168 के खातेदारों द्वारा बंद कर रखा था जिसके विरूद्ध रेस्पोडेंट ने कोई कार्यवाही नहीं की । अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 2017, 2167, 2168, 2166 में होकर नया रास्ता कायम किया है जबकि खसरा नम्बर 2017 अपीलांट कम 1 चैन सिंह की खातेदारी का है उसे पक्षकार नहीं बनाया गया एवं अन्य सहखातेदारान अर्जुन सिंह, चंदर सिंह, मदनसिंह, भगतबाई व लामूबाई को भी पक्षकार नहीं बनाया गया । इसी तरह खसरा नम्बर 2167 व 2168 के खातेदार भैरू आत्मज श्री देवार बलाई को भी पक्षकार नहीं बनाया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। कानूनन प्रभावित पक्षकारों को सुनवायी का अवसर दिया जाना आवश्यक है। नजीर 2022(1) आर.आर.डी. पेज 693 में प्रतिपादित किया गया है कि–"प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया निर्णीत, निचले न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये व प्रकरण पुनः निर्णीत करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया।" खसरा नम्बर 2166 की आराजी का अपीलांट कम 2 खातेदार है जो गैर मुमकिन चाह है। नजरी नक्शा ग्राम डग में स्पष्ट नोट अंकित है कि खसरा नम्बर 2166 में रास्ते का रकबा कम किया जाना

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

संभव नहीं है केवल मात्र नक्शे में रास्ते को श्रीमान् के आदेशानुसार दर्शाया जा सकता है। नक्शे में रास्ते को दर्शाना ही अपीलांट सोहेल गौरी के विवाद का कारण है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट कम 1 चैन सिंह को पक्षकार नहीं बनाया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.02.2021 निरस्त फरमाया जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे कि वह प्रार्थना पत्र के निर्णय से पूर्व रास्ते से प्रभावित आराजी के समस्त खातेदारान को पक्षकारान बनाते हुए एवं उनको सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के नियम 69 के तहत मौका स्वयं की उपस्थिति में या ऐसा अधिकारी से जो आई.एल.आर. से स्तर के नीचे का न हो एवं पक्षकारान को मौके पर उपस्थिति बाबत नोटिस जारी कर उनकी मौजूदगी में आज्ञात्मक प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए एवं वैकल्पिक रास्ते को भी मध्यनजर रखते हुए पुनः निर्णय पारित करें । अपने पक्ष के समर्थन में 2022 (1) आर.आर.टी. पेज 693, 2019 (2) आर.आर.टी. पेज 1128, 2017 (1) आर.आर.टी. पेज 342, आर.बी.जे. 2021 पेज 276 पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में अंकित किया कि रेस्पोडेंट प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी ग्राम डग में खसरा नम्बर 2172, 2173, 2171, 2174 स्थित है उक्त भूमि पर गांव से आने जाने का रास्ता सरकारी रेकार्ड में हमेशा से दर्ज है इस रास्ते को अपीलांट नम्बर 2 सोहेल गौरी ने खसरा नम्बर 2166, 2147, 2017 को तार लगाकर बन्द कर दिया जिसका उसको कोई अधिकार नहीं है। हम गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्ति है एवं हमारा रास्ता बन्द होने से हमारी भूमि पर काश्त होना बन्द हो गया । सोहेल गौरी सवर्ण जाति

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

के व्यक्ति है। तहसीलदार ने मौका रिपोर्ट मंगवायी जिसे तहसीलदार द्वारा सत्यापित किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य तथा पत्रावली में मौजूद दस्तावेजों के आधार पर सही निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेंट्स को अपने खेत पर आने जाने के लिए केवल एक मात्र रास्ता खसरा नम्बर 2166, 2147, 2017 पर से ही हमेशा से रहा है जो रेकार्ड में भी दर्ज है। सैटलमेंट के पूर्व खसरा नम्बर 1984 का हाल खसरा नम्बर 2166 बना है। सैटलमेंट के पूर्व खसरा नम्बर 1984 सरकार के खाते दर्ज था किन्तु सैटलमेंट के बाद अपीलांट ने एलाट करवा लिया जिसका उनको अधिकार नहीं था, खसरा नम्बर 1984 रकबा 3 बिस्वा का है जिसमें 1 बिस्वा एलाट करवाया है तथा उसमें कुआ खुदवाया है उसके बाद भी 2 बिस्वा आराजी और बची है। अधीनस्थ न्यायालय ने उसी में रास्ता दिलवाया है। सैटलमेंट के पूर्व नक्शे में रास्ता मौजूद है । सैटलमेंट के बाद के नक्शे में भी रास्ता मौजूद है। अपीलांट्स ने सैटलमेंट के बाद कर्मचारियों से सांठगांठ कर रास्ते की भूमि भी अपने खाते लगवा ली जिसका उनको कोई अधिकार नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 2166, 2147, 2017 में जो पहले से ही रास्ता था उसको खुलवाया है, नया रास्ता कायम नहीं किया है। अपीलांट चैनसिंह ने रेस्पोडेंट का रास्ता कभी बन्द नहीं किया है जिस कारण चैनसिंह को पक्षकार नहीं बनाया । चैनसिंह को अपीलांट नं. 2 सोहेल गौरी ने बहकावे में ले कर अपील पेश करवायी है तथा अन्य सहखातेदारान अर्जुन सिंह, चन्दर सिंह, मदनसिंह, भगतसिंह व लाभूबाई को पक्षकार इसलिए नहीं बनाया गया है क्योंकि इन सभी सहखातेदारान ने कभी भी रेस्पोडेंट का रास्ता बन्द नहीं किया है और न ही कभी बन्द करने की बोला है। सभी सहखातेदारान ने रास्ते की मुआवजा राशि जो अपीलांट ने तहसील में जमा करवायी थी वह प्राप्त कर ली है तथा रास्ते की कोई आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

(मुहर: भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा)

पारित किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना भी हो चुकी है, निर्णय की पालना में रेस्पोडेंट्स ने मुआवजा राशि तहसील में जमा करवा दी है एवं अन्य खातेदारों ने मुआवजा राशि भी प्राप्त कर ली है तथा निर्णय की पालना में मौके पर रास्ते का खुलासा भी तहसीलदार ने करवा दिया है। अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवार मण्डल डग की मौका रिपोर्ट उपलब्ध है जिसके अनुसार आज दिनांक 02.02.2021 को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय गंगधार के मौखिक आदेश की पालना में उदा पुत्र सेवा वगै. बनाम सोहेल गौरी के प्रकरण के सम्बन्ध में रास्ते का मौका देखा गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

1– ग्राम गणेशपुरा के खसरा नम्बर 2017 रकबा 9.16 बीघा जो कि बगतबाई पुत्री रतन सिंह हिस्सा 1/4, लाभूबाई पत्नी श्यामसिंह हिस्सा 1/4, मदनसिंह पुत्र मोतीलाल हिस्सा 1/4, चेनसिंह पुत्र मोतीलाल हिस्सा 1/4 जाति राजपूत सा. गणेशपुरा के नाम दर्ज है। उक्त खसरे की उत्तरी मेर से पूर्व से पश्चिम की तरफ 239 फीट लम्बा व दक्षिण में 8 फीट चौड़ा कुल 1912 वर्गफीट या लगभग 0.01 बीघा रास्ता निकाला जा सकता है। उक्त भूमि की तहसील कार्यालयनुसार डी.एल. सी. दर 172640/– प्रति बीघा है। खसरा नम्बर 2017 की पश्चिम मेर उत्तर से दक्षिण पर गठ्ठे हैं 338 फीट है।

2– ग्राम डग के आराजी खसरा नम्बर 2167 रकबा 1 बीघा जो की भेरूलाल पुत्र देवा जाति बलाई सा. नयाखेडा के खाते में दर्ज है। इसमें से दक्षिण मेर पर पूर्व से पश्चिम 99 फीट लम्बाई में व 8 फीट चौडाई में कुल 792 वर्ग फीट या लगभग एक बिस्वा का रास्ता निकाला जा सकता है। जिसकी डी.एल.सी. दर 172640/– प्रति बीघा

टंकणकर्ता
(हस्ताक्षर)
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

(हस्ताक्षर)
डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

है। उक्त खसरा नम्बर की उत्तर से दक्षिण में पूर्वी मेर की लम्बाई 140 फीट है । उक्त खातेदार के ही खसरा नम्बर 2168 रकबा 2.04 बीघा में से दक्षिण मेर पर पूर्व से पश्चिम की लम्बाई में 322 फीट व 8 फीट चौडा कुल 2576 वर्ग मीट या लगभग 0.02 बीघा का रास्ता निकाला जा सकता है जिसकी डी.एल.सी. दर 172640/— प्रति बीघा है। उक्त खसरा नम्बर की पश्चिम मेर की उत्तर से दक्षिण की लम्बाई 264 फीट है।

3— ग्राम डग के आराजी खसरा नम्बर 2166 मुताबिक रेकार्ड 0.01 बीघा गै.मु. चाह सोहेल गौरी पुत्री महबूब खॉ के नाम दर्ज है परन्तु नक्शे के अनुसार उक्त खसरा नम्बर का रकबा 0.03 बीघा बैठता है। उक्त खसरा नम्बर की उत्तरी मेर पर पूर्व से पश्चिम की लम्बाई में 182 फीट एवं 8 फीट चौडा कुल 1456 वर्ग फीट या0.01 बिस्वा का रास्ता दिया जा सकता है जिसकी डल.एल.सी. दर 236981/— है । उक्त खसरा नम्बर की पूर्वी मेर की चौडाई 16 फीट तथा पश्चिम मेर की चौडाई 25 फीट है उक्त खसरा नम्बर के दक्षिण में खसरा नम्बर 2148 स्थित है जिसकी पूर्वी मेर की उत्तर से दक्षिण की लम्बाई 231 फीट तथा पश्चिम मेर की लम्बाई 190 फीट है।

4— मुताबिक रेकार्ड ग्राम डग के खसरा नम्बर 2163 रकबा 0.04 बीघा गै.मु. रास्ता खसरा नम्बर 2164 रकबा 0.08 बीघा गै.मु. रास्ता दर्ज है। जिसमें से खसरा नम्बर 2164 के उत्तर में खसरा नम्बर 2173/1 के खातेदार चन्दर पुत्र सेवा बलाई 2173/2 के खातेदार उदा पुत्र सेवा बलाई खसरा नम्बर 2173/3 के खातेदार अन्दा पुत्र सेवा बलाई तथा खसरा नम्बर 2174 के खातेदार नारायण लाल पुत्र रतनलाल वगै0 उक्त खसरा नम्बर 2164 पर पूर्व से पश्चिम की तरफ 479 फीट लम्बाई एवं 12 फीट चौडाई का अतिक्रमण किया हुआ है तथा खसरा नम्बर 2164 की दक्षिण की तरफ खसरा नम्बर 2150 के

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो—(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू—प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी एवं पदेन भू प्रबन्ध अधिकारी ★ कोटा ★ सत्यमेव जयते

खातेदार महबूब खॉ पुत्र इश्हाक मो. वगै. द्वारा शेष भूमि पर 479 फीट लम्बाई व 6 फीट चौडाई में अतिक्रमण किया हुआ है।

5– खसरा नम्बर 2163 रकबा 0.04 बीघा के उत्तर की तरफ खसरा नम्बर 2175 के खातेदार मुकेश पुत्र नाथूलाल वगै. व खसरा नम्बर 2176 के खातेदार प्रभूलाल वगै. के द्वारा पूर्व से पश्चिम की लम्बाई 355 फीट व चौडाई 12 फीट में अतिक्रमण किया हुआ है तथा इसी खसरा नम्बर के दक्षिण में स्थित खसरा नम्बर 2151 के खातेदार चैनसिंह पि. मोतीलाल द्वारा 355 फीट लम्बा व 4 फीट चौडाई में अतिक्रमण किया हुआ है । खसरा नम्बर 2163 व 2164 की भूमि गै.मु. सरकारी रास्ता होने से कोई मुआवजा नहीं बनता है। उक्त भूमि के अतिक्रमण से मुक्त किया जाना उचित रहेगा । जो कि नायब तहसीलदार द्वारा तैयार की गई है । साथ ही ग्राम डग का नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया जिसमें गोरधन मेहर, नारायण लाल, महबूब खॉ, एवं उदा की मौजूदगी में तैयार किया गया जो कि नायब तहसीलदार द्वारा तैयार किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उचित निर्णय पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.02.2021 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/9/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा